



कार्यालय नगर निगम, देहरादून

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर नियम, दहेज अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्धि का प्राप्त्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है:-

पश्चिमों को अवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/ दुर्घटनाओं/ पश्च कोद्रित व पश्च जीनित हिंसा की समस्या के नियरण अवारा छोड़ दिये गए अनुचालक एवं उद्देश्य/ आकामक पश्चिमों में परस्पर संघर्ष अथवा किंचित् प्रकरणों में आमजनों एवं आकामण से बचाव एवं जनसुखा, ऐसे गोशीय-पश्चिमों की तरफकी/ गोहत्या/ चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को समाप्ति नहीं। डॉ. परिसरों के कारण गोबर/ गोमत्र को अनुचित प्रबल्धन के कारण नालियों में अवरोध/ गन्धी/ दुर्गाय/ मैत्रियों द्वारा दृष्टि की समस्या के समाधान हेतु।

क. उत्तर प्रदेश भारत नियम आधानयम्, १९५३ के अन्तर्गत प्राक्ष्यान् ।

1) अधिनियम की धारा-५४ एवं धारा-५३ (अध्याय XV – Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades and acts etc.) के अन्तर्गत रेख सकार द्वारा आवासायिक डेरी परियों का संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपलब्धि की प्रत्यक्षता प्रसारित है। 2) धारा-३४ एवं धारा-४० के अनुरूप नारे नियम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त डेरी स्थानियों द्वारा ही आवासायिक डेरी परियों का संचालन किया जाना अप्रियता है। 3) धारा-५१(३) के अनुरूप डेरी स्थानीयाओं द्वारा कानूनी प्राविधियों (अधिनियम/नियम/उपनियम) के अनुरूप नियंत्रित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर, आवासायिक डेरी परियों के संचालन हेतु निर्दिष्ट अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधिन है। 4) धारा-५८ के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधियों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपनियम) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दीजित किये जाने का प्राविधिन है।

ख. उत्तराखण्ड गोवर्स संस्थान अधिनियम, 2007 एवं संरोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राविधिन :-

अधिनियम की धारा-७ के अनुरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवर्स का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-८ के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में गोदायी पशुओं को आवास भेजने का प्रतीक्षा है। इन दोनों ही प्राविधियों के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-११(३) एवं धारा-११(क) के अनुरूप नारे आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधिन है।

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दु संख्या-०७ में नार निकाय द्वारा डेरी/गौशालाओं को पंजीकृत करने का प्राविधिन है।

नगर निवास, देहरादून बीजात्मत दुधारु पश्चिम के बाबसाहायक डॉ ग्राटोल्डीना के सचालन हुई अनुज्ञा दद्य जान का एवं विषय अधिकारीम् १९५७ की धारा-५५० एवं धारा-५५३ के उल्लंग निमानुसार उपविधि का प्राप्त्यापन प्रस्तावित है:-

1. नाम-यह ज्ञाविषि "नार निगम, देहरादून डेरी / डेरी पशु ज्ञाविषि, 2022" कहलाएगी।  
2. परिभाषा -कि डेरी पशु से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं उनकी संतानि से है। (ब) "दुष्क्रान्ता" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ उधार पशुओं को रखा जाता है। (ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नार निगम में शासन द्वारा जारी डेरी परिसर से जुड़े होते हैं। (घ) "आवसायिक डेरी परिसर" से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5

प्रतियुक्त पशुविकला अधिकारी से है अथवा पशुविकला विज्ञान में स्नातक अर्थात् इससे उच्च उपाधिकारक जो सभ अन्य राज्य पशुविकला परिषद् ने प्रमाणित किया है। जो कि अनामकारी गोवंश की देख-खेज के लिए स्थापित की गई है। अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो, से है। (ब) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है। जो कि अनामकारी गोवंश की देख-खेज के लिए स्थापित की गई है।

(च) "अलामकार परम्" से तात्पर्य अनुस्पष्टक, वृद्ध, शीमार एवं घायल नियांश्रेत गोपया तथा पुलिस- प्रशासन/ नगर निकाय द्वारा गोपया करने की अनुमति देता। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की शीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करता। वह न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देता।

गया आवेदन युल्क अप्रिटार्ड (non refundable) होगा। (ए) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण पालिंग एवं विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी / अधिकारियों / दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थानीय नियन्त्रण द्वारा जारी जाता है। जिसके द्वारा प्रारम्भ-2 पर स्थानीय नियन्त्रण उपरान्त आख्या प्रसुत को संलग्न करना आवश्यक होगा। (छ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा, अधिकृत अधिकारी / अधिकारियों / दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थानीय नियन्त्रण द्वारा जारी जाता है। जिसके द्वारा प्रारम्भ-2 पर स्थानीय नियन्त्रण उपरान्त आख्या प्रसुत को संलग्न करना आवश्यक होगा।

जायेगी। (छ) श्रीमान नगर अप्रयुक्त होता अधिकारी निरेखण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थानीय निरेखण आख्या के अलाके मध्य सभापाल आद्या के अलाके करते हुए प्रारूप-3 के अनुसार अनुप्रयुक्त निरेखण करना आवश्यक होगा। (च) अनुप्रयुक्त व्यावसायिक डॉसी परिसर में बायोस्टक तथा अवयवस्तु प्रशंसनों की अधिकारी निरेखण अनुमत्य संख्या उत्तिष्ठान करते हुए प्रारूप-3 के अनुसार अनुप्रयुक्त निरेखण करना आवश्यक होगा। निरेखण के समय प्रदर्शित न पाये जाने

अनुजा के प्रतिवच्चा / शता के अनुपालन हुए बाय होगा। (छ) अनुजाधारी व्यावसायिक डॉरो परसर होने स्वयं की डॉरो परसर में तुर्म्प दाना-प्रणाली की विस्तृत विवरण किया जा सकता है। अनुजाधारी व्यावसायिक डॉरो परसर होना अनुजा के प्रतिवच्चा / शता के अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। (ज) नार निगम क्षेत्रालंगत समय-समय पर व्यावसायिक डॉरो परसर का स्थानीय निरीक्षण किया जा सकता है। अनुजाधारी व्यावसायिक डॉरो परसर होना अनुजा के प्रतिवच्चा / शता के अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराव वर्ष के अनुपर्याप्त होनी चाही जाएगी।

का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र को निरकालक निवारण अधिकारी पूछते निरसनाकरण किया जा सकता है। (इ) निगम द्वारा निरामित अनुज्ञापत्र को आवाहनप्रक्रिया के बाहर-4/67 एवं धारा-67 के अवधारणा के अनुरूप दर्द का आरोपण किया जाने की विधि से कुल 1 एडिट वर्ष हेतु मात्र विधि की तरफ सभी वस्तुओं की धारा-67 एवं धारा-45(3) के अनुरूप दर्द का आरोपण किया जाने की विधि है।

अत्यस्वाकृत का सुखना नात कर दा जाना। (८) एक रात नम ग्रामपाल अद्विष्ट के बैंग व्यापतावधि करा पारत तथा दूर्दृष्टि करने का जननदारों आजुनाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुलम्ब नहीं पायी जायेगा, जो रु 25,000/- - तक हो सकता है। (९) डेरी पालन के लिए समय-समय पर सभी न्यायालयों के पाति आदेशों दोष/प्रायिकरण/आयोग/विभाग इत्यादि से अजुनाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुलम्ब नहीं पायी जायेगा।

तथा इस आशय का रूप-प्रभ ना अप्पा करना चाहे आप्पा करना चाहे अनुजा जारी करना कि वह ना करना चाहे। अनुजा स्वतः निरस्ता मानी जायेगी। जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो नियम हीरा जारी अनुजा स्वतः निरस्ता मानी जायेगी। अनुजा की समाप्ति के उत्तरान संचालक पर नियम ५(ट) के तहत कार्यवाही की जिसदेशी होगी। जिसके ब्रेपा आवेदन पिछली अनुजाति के समाप्त होने के १५ दिन पहले करना अनिवार्य होगा।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दिनांक 25/07/2022

मेरे प्रकाशित करते हुए विल मुगालन हेतु  
विरच्छ पश्चिमी अधिकारी।

अनियम  
जाने

४५८ /

स्था के  
11.06.2  
किये ग  
त की